

महिलाओं को बिजनेस लोन देने में बैंक टाल- मटोल नहीं कर सकते

'पत्रिका' की पहल

बिजनेस बड़ा
कैसे करें



पत्रिका
बिजनेस बूस्टर

राजस्थान पत्रिका

Entrepreneurship
Development
Institute of India

पत्रिका समूह और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट
ऑफ इंडिया (ईडीआइआई), अहमदाबाद की संयुक्त पहल,
महिलाओं को मिलेगी बिजनेस को बढ़ाने से जुड़ी ट्रेनिंग

अ गर कोई महिला अपने विजनेस के लिए सरकारी बैंक में लोन के लिए जाती हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स होने पर बैंक टाल-मटोल नहीं कर सकते हैं। यह बात ईडीआइआई की प्रोजेक्ट लीडर डॉ. कीर्ति प्रजापति ने महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर महिला उद्यमी अपना बिजनेस बढ़ाने या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन मांगती हैं तो उन्हें दिया जाए। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसके

खिलाफ शिकायत पर 48 घंटे में कार्रवाई होती है। 10 योजनाओं में महिलाएं ले सकती हैं लाभ। इनमें अन्नपूर्णा योजना, मुद्रा योजना, देना शक्ति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उद्योगिनी, सेंट कल्याणी योजना, महिला उद्यम निधि, स्त्री शक्ति पैकेज, ओरिएंटल महिला योजना, भारतीय महिला बिजनेस लोन स्कीम हैं। इनमें महिला अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकती हैं। इनमें बिना गारंटी के लोन मिलता है। इसमें सब्सिडी भी मिलती है।

March 16, 2022

Pg.1